ऑपरेशन सिंदूर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

देहरादून,(वीअ)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को दून सैनिक इंस्टीट्यूट, गढ़ी कैंट, देहरादून में ऑपरेशन सिंदूर-शौर्य, सम्मान और वीरता का एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं सेना के शौर्य के कारण आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। मुख्यमंत्री ने सेना के साहस और शौर्य के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि सेना के साहस, समर्पण और त्याग के कारण दुश्मन कभी भी भारत की ओर आँख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री ने कहा ऑपरेशन सिंदूर,

आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा जब पूरा देश सो रहा था, तब सेनाओं ने 22 मिनट में पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए ध्वस्त कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा देश की अत्याधुनिक वायु सुरक्षा प्रणाली ने भारत की ओर होने वाले हमलों को नाकाम कर दिया और एक भी मिसाइल भारतीय जमीन पर नहीं गिरने दी। भारतीय सेनाओं ने चार दिनों के भीतर अपने पराक्रम से पाकिस्तान को युद्धविराम के लिए भारत के सामने झुका दिया। मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना में होता है, इसलिए हमारा सेना और सैनिकों के साथ भावनात्मक लगाव है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जवानों का मनोबल बढ़ाने के साथ-साथ सेना को अत्याधुनिक तकनीक और हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा है। भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ कई अन्य देशों को भी रक्षा उपकरणों और संसाधनों का निर्यात कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में रक्षा सामग्री के निर्यात में 38 गुना की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। भारत दुनिया के 80 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण, हथियार और अन्य रक्षा सामग्रियां उपलब्ध करवा रहा है। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर से यह सिद्ध हो गया है कि हमारे स्वदेशी हथियार अन्य किसी भी देश के हथियारों से कई गुना बेहतर हैं।

मेडिकल प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण में अनियमितता पाने पर नोटिस जारी

अल्मोड़ा,(वीअ)। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड के अंतर्गत आज जनपद अल्मोड़ा में विभिन्न मेडिकल प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण औषधि निरीक्षक पूजा जोशी द्वारा किया गया। निरीक्षण अभियान के दौरान मेडिकल स्टोरों के ड्रग लाइसेंस की वैधता की जांच की गई तथा दवाओं के स्टॉक एवं बिक्री/खरीद अभिलेखों का सत्यापन किया गया। निरीक्षण के दौरान यह भी सुनिश्चित किया गया कि दवाओं की बिक्री एवं क्रय केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति में तथा पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के विधिवत पर्चे के आधार पर ही की जाए। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठानों में स्थापित सीसीटीवी कैमरों एवं उनकी रिकॉर्डिंग व्यवस्था की भी गहन जांच की गई। जांच के दौरान

03 मेडिकल प्रतिष्ठानों में विभिन्न अनियमितताएं पाई गईं, जिसके आधार पर संबंधित प्रतिष्ठानों को 07 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। औषधि निरीक्षक ने बताया कि जनपद में औषधि प्रतिष्ठानों के विरुद्ध निरीक्षण एवं जांच की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी, ताकि औषधियों की बिक्री में पारदर्शिता एवं निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

संक्षिप्त समाचार

रक्तदान शिविर में 100 यूनिट रक्त एकत्र

काशीपुर,(वीअ)। सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए सूर्या रोशनी लिमिटेड ने अपने काशीपुर यूनिट में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों, स्थानीय समुदाय और सहयोगियों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करना था। शिविर में लगभग 100 यूनिट रक्त संग्रहित किए गए। यह शिविर प्रमाणित मेडिकल टीमों के सहयोग से आयोजित किया गया, जहां सभी सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का विशेष ध्यान रखा गया। काशीपुर इकाई की यह पहल स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के साथ-साथ रक्तदान के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर सूर्या रोशनी लिमिटेड के यूनिट हेड दृ काशीपुर, शुभम चमोली ने कहा, "ह मानते हैं कि सकारात्मक बदलाव की शुरुआत जमीनी स्तर से होती है।

सार्वजनिक सूचना
(दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता बोर्ड संहिता, 2016 की धारा 102 के अंतर्गत)

कॉर्पोरेट देनदार के व्यक्तिगत गारंटर श्री सचिन उपाध्याय
मैसर्स एस एंड एन स्टाइल हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्स एस एंड एन लाइफ स्टाइल इन्फ्रावेंचर प्राइवेट लिमिटेड की व्यक्तिगत गारंटर के लेनदारों के ध्यानार्थ हेतु

प्रासंगिक विवरण		
1.	व्यक्तिगत गारंटर (पीजी) का नाम	श्री सचिन उपाध्याय
2.	व्यक्तिगत गारंटर के निवास का पता	111/2 (पुराना नंबर 111 - ए) राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड, भारत - 248001 और: 1) 161/11, सिनोला गाँव, जोहंडी, राजपुर, देहरादून, उत्तराखंड -248009 2) जी-40, गौरव अपार्टमेंट, एसएफएस डीडीए फ्लैट्स, साकेत, नई दिल्ली - 110017
3.	आवेदन स्वीकार करने के आदेश का विवरण	माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली ने मेसर्स एस और एन स्टाइल हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एस और एन लाइफ स्टाइल इंफ्रावेंचर प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर श्री सचिन उपाध्याय के खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया को सीपी (आईबी) 688/2024 दिनांक 30.04.2026 (आदेश 08.05.2026 पर अपलोड किया गया) के माध्यम से स्वीकार किया।
4.	आईबीसी 2016 के तहत व्यक्तिगत गारंटर के संबंध में दिवालियापन प्रक्रिया शुरू होने की तारीख	30.04.2026 (दिनांक 08.05.2026 को आदेश अपलोड किया)
5.	रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	आकृति सूद IBBI/IPA-002/IP-N01224/20222023/14221
6.	बोर्ड के साथ पंजीकृत समाधान पेशेवर का पता और ईमेल	फ्लैट नंबर 1804, टावर 30, लोटस बुलेवार्ड, सेक्टर 100, नोएडा, नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201301 ईमेल: contactaakritisood@gmail.com
7.	समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ईमेल	फ्लैट नंबर 1804, टावर 30, लोटस बुलेवार्ड, सेक्टर 100, नोएडा, नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201301 ईमेल: pg.sandngroup@gmail.com
8.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	01.06.2026
9.	संबंधित प्रपत्र यहां उपलब्ध हैं	(क) इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (कॉर्पोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटर के लिए इन्सॉल्वेंसी समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियम 7(1) के तहत फॉर्म बी (ख) वेबलिंक: इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड आफफ इंडिया (कॉर्पोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटर के लिए इन्सॉल्वेंसी समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियम 7(1) के तहत फॉर्म बी (बी) वेबलिंक: https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली बेंच–।। ने 03.04.2026 (आदेश 08.05.2026 पर अपलोड किया) को श्री सचिन उपाध्याय की दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
श्री सचिन उपाध्याय (मेसर्स एस और एन स्टाइल हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एस और एन लाइफ स्टाइल इंफ्रावेंचर प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर) के लेनदारों से अनुरोध है कि वे अपने दावों को सबूत के साथ 01.06.2026 को या उससे पहले एंट्री नंबर 7 के सामने बताए गए पते पर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को जमा करें।
श्रीमती नाजिया युसुफ इज़्ज़ुद्दीन के लेनदारों को या तो इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या कूरियर, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत पोस्ट के माध्यम से अपना दावा प्रमाण के साथ प्रस्तुत करना होगा।
दावों के झूठे या गुमराह करने वाले सबूत जमा करने पर जुर्माना लगेगा।

आकृति सूद
समाधान पेशेवर
दिनांक: 11.05.2026 IBBI/IPA-002/IP-N01224/20222023/14221
स्थान: नोएडा एएफए वैधता: 30.06.2026 तक

डब्लूएफएडीएस एशियन चैंपियनशिप कप में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

देहरादून,(वीअ)। एशिया में डांस स्पोर्ट्स के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्रोबेटिक डांसेज एंड डांस स्पोर्ट्स (डब्लूएफएडीएस) ने नेशनल फेडरेशन ऑफ एक्रोबेटिक्स एंड डांस स्पोर्ट इंडिया (एनएफएडीआई) के सहयोग से 8 मई 2026 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में भारत में पहली बार डब्लूएफएडीएस एशियन चैंपियनशिप कप 2026 का आयोजन किया। यह ऐतिहासिक पहल भारत में बड़े स्तर पर एक्रोबेटिक रॉक एंड रोल और एक्रो स्विंग जैसे रोमांचक डांस स्पोर्ट्स की शुरुआत का प्रतीक बनी, जिसमें खेल कौशल और कलात्मक अभिव्यक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस भव्य आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री आशीष सूद उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मंथन जिम्नास्टिक्स अकादमी से गौरव एवं खुशबू ने विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में विशेष अतिथियों के रूप में भाजपा पंजाब के उपाध्यक्ष बिक्रमजीत सिंह चीमा, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पंजाब विधानसभा के पूर्व सदस्य एच.एस. फूलका तथा मनोज सेठी भी उपस्थित रहे। इस चैंपियनशिप से पूर्व 4 से 7 मई 2026 तक मंथन जिम्नास्टिक्स अकादमी में एशिया ट्रेनिंग एवं इंडिया नेशनल्स सिलेक्शन कैंप आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में विश्वप्रसिद्ध चैंपियन स्वेतलाना गवरिलोवा एवं अलेक्सी गवरिलोव, ओल्गा स्बिटनेवा एवं इवान युदिन, इगोर विकोविक तथा एलेक्स डेली ने भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया, जिससे खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों से सीखने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ।

आईसीसीसीसी सिस्टम से सुरक्षित और सुगम बन रही चारधाम हेली यात्रा,यूकाडा-डीजीसीए की संयुक्त मॉनिटरिंग

देहरादून, (वीअ)। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और हेली सेवाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर (आईसीसीसीसी) लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है। देहरादून स्थित सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट में स्थापित यह आधुनिक नियंत्रण केंद्र खराब मौसम की परिस्थितियों में भी हेली सेवाओं की हर गतिविधि पर सतत निगरानी बनाए हुए है। आईसीसीसीसी में तैनात नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और यूकाडा की छह सदस्यीय टीम एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) के साथ समन्वय स्थापित कर हेली संचालन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने में जुटी है।

केंद्र से हेली रूट, ट्रैकिंग डिवाइस और प्रत्येक हेली ट्रिप एवं शटल सेवा की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है।

सभी हेली रूटों पर स्थापित पीटीजेड कैमरों के माध्यम से हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग और टेकऑफ पर लगातार नजर रखी जा रही है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई संभव हो सके। आईसीसीसीसी से पूरी हेली यात्रा व्यवस्था को नियंत्रित और मॉनिटर किया जा रहा है। यूकाडा के सीईओ डॉ. आशीष चैहान ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में चारधाम हेली यात्रा को आधुनिक तकनीक के माध्यम से अधिक सुरक्षित, सरल और सुव्यवस्थित बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि डीजीसीए के निर्देशों के अनुरूप सहस्त्रधारा और सिरसी में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां डीजीसीए और आईएमडी के अधिकारी तैनात हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक हेली उड़ान की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है तथा एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ समन्वय स्थापित कर प्रत्येक शटल सेवा को मंजूरी दी जा रही है। खराब मौसम, विजिबिलिटी और सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी हेली सेवाओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। ारधाम यात्रा के दौरान हेली टिकट बुकिंग में अब तक किसी प्रकार की धोखाधड़ी की शिकायत सामने नहीं आई है।

उत्तर रेलवे
ई–नीलामी

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक/कोचिंग, (ए.सी.ओ) उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल के द्वारा हरदोई स्टेशन पर एम. पी. एस., योग नगरी ऋषिकेश पर कैटरिंग स्टाल (स्पे० माइनर यूनिट्स) एवं बलामाऊ, हरदोई, शाहजहांपुर, हापुड़, नजीबाबाद, योग नगरी ऋषिकेश, रूड़की, लक्सर, चंदौसी तथा देहरादून स्टेशनों पर वाटर वेंडिंग मशीन, के कार्य को IREPS के माध्यम से मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर ठेके पर देने हेतु ई–बोलियाँ www.ireps.gov.in पर दिनांक 29.05.2026 को आमंत्रित की जाती है, जिसकी विस्तृत जानकारी, नियम व शर्तें www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है।
1567/2026
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर सख्ती से लागू होंगे नियम,धार्मिक शिक्षा सिलेबस और रजिस्ट्रेशन होंगे चुनौती

पौड़ी/देहरादून,(वीअ)। राजकीय व्यावसायिक महाविद्यालय पैठाणी को व्यावसायिक शिक्षा का केन्द्र बनाया जायेगा। इसके लिये महाविद्यालय में चरणबद्ध तरीके से आधुनिक एवं उद्योगों की आवश्यकता आधारित रोजगारपरक पाठ्यक्रम संचालित किये जायेंगे, ताकि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। यह बात प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राजकीय व्यावसायिक महाविद्यालय पैठाणी में आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में कही। बतौर मुख्य अतिथि डॉ. रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को आधुनिक तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा

उपलब्ध कराने की मंशा से पैठणी में राज्य का पहला व्यावसायिक महाविद्यालय खोला। इस महाविद्यालय को सरकार व्यावसायिक शिक्षा का बड़ा केन्द्र बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यहां उद्योगों एवं बाजार की मांग के अनुरूप नए पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे, जिससे युवा आत्मनिर्भर बन सकेंगे और प्रदेश के विकास में सहभागी होंगे। उन्होंने कहा कि अगले शैक्षिक सत्र से महाविद्यालय में बीटेक, बीएड, एमबीए एवं एमसीए जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे, इसके लिये विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं।

डॉ. रावत ने कहा कि व्यावसायिक महाविद्यालय पैठाणी को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। महाविद्यालय में विभिन्न प्रयोगशालाओं के साथ ही छात्र-छात्राओं के लिए अत्याधुनिक छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, इसके अलावा आधुनिक ऑडिटोरियम एवं प्राचार्य आवास का निर्माण भी पूरा हो चुका है। उन्होंने छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिये महाविद्यालय में विभिन्न वाद्य यंत्र उपलब्ध कराने, कॉलेज परिसर में ओपन जिम एवं प्रतीक्षालय का निर्माण करने की बात कही।

HDB FINANCIAL SERVICES
सांकेतिक मांग सूचना

पंजीकृत कार्यालयः राधिका, दूसरा तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात, पिन कोड–380009 शाखा कार्यालयः चौथा तल, एससीओ नं. 8, सेक्टर–5, पंचकुला

जबकि, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 64) के तहत और अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जिसे प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ा जाए) कर्जदारों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एक मांग सूचना जारी की है। इस सूचना के माध्यम से कर्जदारों/सह–कर्जदारों से यह मांग की गई है कि वे उक्त सूचना में उल्लिखित राशि को भुगतान की वास्तविक तिथि तक के सभी खर्चों, शुल्कों और व्ययों सहित, सूचना प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुका दें। चूंकि उक्त कर्जदार राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतः इसके द्वारा कर्जदारों/सह–कर्जदारों और आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और धारा 14 के अंतर्गत (जिसे प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़ा जाए) उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.09.2023 और 19.09.2023 को नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदारों को और आम जनता को इसके द्वारा यह चेतावनी दी जाती है कि वे इस संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का लेन–देन न करें और इस संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन–देन, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के के प्रभारों का भुगतान करने के अधीन होगा जो यहाँ निर्दिष्ट राशि तथा संबंधित तिथि से लगने वाले भविष्य के ब्याज, खर्चों और शुल्कों के लिए लागू होगा। सांकेतिक कब्जे में ली गई संपत्ति का विवरण नीचे दिया गया है।

1) कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर का नाम और पता 2) लोन खाता संख्या 3) लोन की राशि 4) मांग सूचना की तारीख 5) आईएनआर में दावा की गई राशि 6) प्रतिभूतियों का विवरण 7) कब्जे की तारीख

1 कर्जदार/सह–कर्जदार का नामः 1. जेएस एंड संस 2) अजय मोहन सिंह 3) उमा किशोरी 4) नीरजा सिंह। सभी निवासीः मकान नंबर–10, सेवला कलां, जीएमएस रोड, देहरादून–248002। लोन खाता संख्याः 2044269, लोन की राशिः रु. 2,077,584.00/– (केवल इक्कीस लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ चौरासी रुपये), मांग नोटिस की तारीखः 24.02.2026, दावा की गई राशिः रु. 1,107,350.71/– (केवल ग्यारह लाख सात हजार तीन सौ पचास रुपये और इकहत्तर पैसे) दिनांक 24.02.2026 तक और वास्तविक वसूली होने तक भविष्य का संविदात्मक ब्याज, साथ ही आकस्मिक खर्च, लागत और शुल्क आदि। एनपीए की तारीखः 02.02.2026। प्रतिभूति का विवरणः प्रतिभूतियों की अनुसूची : वह समस्त संपत्ति जिसमें खाता संख्या 697 (फसली 1414 से 1419) और खसरा संख्या 215जीएचए वाली भूमि शामिल है जिसका क्षेत्रफल 104.08 वर्ग मीटर है और जो मौजा सेवला कलां, परगना पछवादून, जिला देहरादून में स्थित है तथा जिसकी स्वामी श्रीमती उमा किशोरी पत्नी स्वर्गीय श्री जगदीश सिंह, जो अपने अधिकृत प्रतिनिधि और पुत्र श्री अजय मोहन सिंह (स्वर्गीय श्री जगदीश सिंह के पुत्र) के माध्यम से कार्य कर रही हैं और यह दस्तावेज सब–रजिस्ट्रार, देहरादून के कार्यालय में विधिवत पंजीकृत हैः बुक संख्या 1, वॉल्यूम संख्या 1440, पृष्ठ 306, अतिरिक्त फाइल संख्या 1, वॉल्यूम संख्या 1498, पृष्ठ 303 से 310 तक दस्तावेज संख्या 4631 के रूप में दिनांक 26–07–2005, सांकेतिक कब्जे की तिथिः 08.05.2026

कर्जदारों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित संपत्ति को वापस पाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं। किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री नवल किशोर से 7696442530, श्री अमरदीप कलिया, मोबाइल– 8699620254. एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, चौथी मंजिल, एससीओ नंबर 8, सेक्टर 5, पंचकूला।

स्थानः उत्तराखंड कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
दिनांकः 12.05.2026 प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक सूचना
(दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता बोर्ड संहिता, 2016 की धारा 102 के अंतर्गत)

कॉर्पोरेट देनदार के व्यक्तिगत गारंटर श्रीमती नाजिया यूसुफ इज्जुद्दीन,
मैसर्स एस एंड एन स्टाइल हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्स एस एंड एन लाइफ स्टाइल इन्फ्रावेंचर प्राइवेट लिमिटेड की व्यक्तिगत गारंटर के लेनदारों के ध्यानार्थ हेतु

प्रासंगिक विवरण		
1.	व्यक्तिगत गारंटर (पीजी) का नाम	श्रीमती नाजिया यूसुफ इज्जुद्दीन
2.	व्यक्तिगत गारंटर के निवास का पता	डब्ल्यूआईसी क्लब, 111/2 (पुराना नंबर 111 - ए) राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड, भारत - 248001 और: 1) 161/11, सिनोला गाँव, जोहंडी, राजपुर, देहरादून, उत्तराखंड -248009 2) कैराली देसाभिमानी रोड कलूर, एर्नाकुलम केरल - 682011 3) जी-40, गौरव अपार्टमेंट, एसएफएस डीडीए फ्लैट्स, साकेत, नई दिल्ली - 110017
3.	आवेदन स्वीकार करने के आदेश का विवरण	माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली ने मेसर्स एस और एन स्टाइल हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एस और एन लाइफ स्टाइल इंफ्रावेंचर प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर श्रीमती नाजिया युसुफ इज्जुद्दीन के खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया को सीपी (आईबी) 690/2024 दिनांक 30.04.2026 (आदेश 08.05.2026 पर अपलोड किया गया) के माध्यम से स्वीकार किया।
4.	आईबीसी 2016 के तहत व्यक्तिगत गारंटर के संबंध में दिवालियापन प्रक्रिया शुरू होने की तारीख	30.04.2026 (दिनांक 08.05.2026 को आदेश अपलोड किया)
5.	रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	आकृति सूद IBBI/IPA-002/IP-N01224/20222023/14221
6.	बोर्ड के साथ पंजीकृत समाधान पेशेवर का पता और ईमेल	फ्लैट नंबर 1804, टावर 30, लोटस बुलेवार्ड, सेक्टर 100, नोएडा, नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201301 ईमेल: contactaakritisood@gmail.com
7.	समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ईमेल	फ्लैट नंबर 1804, टावर 30, लोटस बुलेवार्ड, सेक्टर 100, नोएडा, नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201301 ईमेल: pg.sandngroup@gmail.com
8.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	01.06.2026
9.	संबंधित प्रपत्र यहां उपलब्ध हैं	(क) इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (कॉर्पोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटर के लिए इन्सॉल्वेंसी समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियम 7(1) के तहत फॉर्म बी (ख) वेबलिंक: इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड आफफ इंडिया (कॉर्पोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटर के लिए इन्सॉल्वेंसी समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियम 7(1) के तहत फॉर्म बी (बी) वेबलिंक: https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली बेंच–।। ने 03.04.2026 (आदेश 08.05.2026 पर अपलोड किया) को श्रीमती नाजिया यूसुफ इज्जुद्दीन की दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
श्रीमती नाजिया यूसुफ इज्जुद्दीन (मेसर्स एस और एन स्टाइल हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एस और एन लाइफ स्टाइल इंफ्रावेंचर प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर) के लेनदारों से अनुरोध है कि वे अपने दावों को सबूत के साथ 01.06.2026 को या उससे पहले एंट्री नंबर 7 के सामने बताए गए पते पर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को जमा करें।
श्रीमती नाजिया युसुफ इज्जुद्दीन के लेनदारों को या तो इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या कूरियर, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत पोस्ट के माध्यम से अपना दावा प्रमाण के साथ प्रस्तुत करना होगा।
दावों के झूठे या गुमराह करने वाले सबूत जमा करने पर जुर्माना लगेगा।

आकृति सूद
समाधान पेशेवर
दिनांक: 11.05.2026 IBBI/IPA-002/IP-N01224/20222023/14221
स्थान: नोएडा एएफए वैधता: 30.06.2026 तक

संदिग्ध परिस्थितियों में लापता नवविवाहिता बेगूसराय से बरामद

हरिद्वार,(वीअ)। लक्सर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से संदिग्ध परिस्थिति में लापता हुई नवविवाहिता बिहार के बेगूसराय से मिल गई है। हरिद्वार पुलिस ने उसे खोज निकाला है. पुलिस के अनुसार नवविवाहिता अपनी मर्जी से गई थी। लेकिन अचानक गायब होने के पीछे क्या कारण रहे, यह सब उनके बयान दर्ज होने के बाद पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस ने नवविवाहिता को परिजनों के सुपुर्द करने की तैयारी कर ली है।

बीती 5 मई की रात को लक्सर रेलवे स्टेशन के पास से संदिग्ध परिस्थिति में लापता हुई 29 साल की नव विवाहिता की गुमशुदगी को लेकर कई तरह के प्रयास लगाए जा रहे थे। हालांकि शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि नवविवाहिता अपनी मर्जी से ही गई थी। कानपुर की रहने वाली नवविवाहिता की हाल ही में शादी हुई थी। 5 मई को दंपति केदारनाथ दर्शन करने के बाद नंदा देवी एक्सप्रेस से गाजियाबाद लौट रहे थे। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि हरिद्वार पुलिस ने नवविवाहिता को बिहार के बेगूसराय से खोज लिया है। वह सुरक्षित है और फोन पर उनकी मां से भी बातचीत हो गई है। उन्हें जल्द ही लक्सर लाया जाएगा और बयान दर्ज कराए जाएंगे।

पूछताछ में सामने आया है कि महिला अपनी मर्जी से गई थी और जाने के पीछे क्या कारण रहे होंगे, यह सब बयान के बाद ही पता चल पाएगा। बीती 5 मई की रात करीब साढ़े दस बजे अपने पति के साथ नंदा देवी एक्सप्रेस में सफर कर रही नवविवाहिता ट्रेन से संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गई थी। जांच में नवविवाहिता की लोकेशन लक्सर क्षेत्र के आसपास आई थी। इसलिए परिजनों की शिकायत पर लक्सर कोतवाली पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक हर एंगल से मामले की जांच गई और कई दिशाओं में टीमें रवाना की गई। दरअसल नवविवाहित यूपी के कानपुर की रहने वाली है और पति के साथ गाजियाबाद रहती है. कुछ दिन पहले दोनों की शादी हुई थी।

सांकेतिक कब्जा सूचना

ICICI Home Finance
पंजीकृत कार्यालयः आईसीआईसीआई बैंक टॉवर, बांद्रा–कुर्ला काम्प्लैक्स, बांद्रा (पूर्व) मुम्बई–4000051
कॉर्पोरेट कार्यालयः आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर्स, जेबी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुम्बई–4000059
शाखा कार्यालयः प्लॉट नं. 16/1 एवं 17/1, वार्ड संख्या 13, दुकान संख्या 9, द्वितीय तल, एसजीएडी कॉम्प्लेक्स, नैनीताल रोड, रुद्रपुर–263153

जैसा कि आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूत हित अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित कर्जदारों को कथित सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए एक मांग सूचना जारी की।
कर्जदार राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहे हैं इसलिए कर्